फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर

श्रीमती सुषमा खन्ना बनाम स्टेट वगैरह

किस्म मुकदमा : अपीलः अन्तर्गत धारा 97(क) राजस्थान पंचायत अधि.1994 - 1/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषीयन्स जज	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
22.10.19	पत्रावली प्रस्तुत हुई । पत्रावली पर अंकित रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर द्वारा राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत पारित किये गये आदेश दिनांक 30.9.2019, जिसके द्वारा रामेश्वरलाल अप्रार्थी सं0 3 की निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पट्टा विलेख दिनांक 3.2.1986 को कृषि भूमि ग्राम इन्दा का बाला के खसरा नं0 0.25 हैक्टेयर की हद तक निष्प्रभावी धोषित किये जाने के आदेश दिये, के विरुध्द इस न्यायालय राजस्थान पंचायत अधिनियम की धारा–97(क) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है । राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97(क) के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत करने हेतु निम्नप्रकार से प्रावधान दिया हुआ है :– धारा–97 क. अपीलें– (1) इस अधिनियम के अधीन या तद्धीन बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन किये गये या जारी किये पंचायत समिति के किसी आदेश या निदेशसेव्यथित कोई भी व्यक्ति, इस प्रकार किये गये आदेश या निदेश के विरुध्द अधिकारिता रखने वाली जिला परिषद को ऐसे आदेश या निदेश की तारीख से 30 दिवस के भीतर अपील कर सकेगा और उस कालावधि की संगणना में उसकी प्रति प्राप्त करने में लगा समय अपवर्जित किया जायेगा । (2) इस अधिनियम के अधीन या तद्धीन बनाये गये किसी नियम के अधीन किये गये या जारी किये जिला परिषद के किसी आदेश या निदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, इस प्रकार किये गये आदेश या निदेशके विरुध्द अधिकारिता रखने वाले खण्ड आयुक्त को ऐसे आदेश या निर्देश की तारीख से 30 दिवस के भीतर–भीतर अपील कर सकेगा और उक्त कालावधि की संगणना में उसकी प्रति प्राप्त करने में लगा समय अपवर्जित किया जाएगा । धारा 97(क) में दिये गये उपरोक्त प्रावधानों में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) द्वारा राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत पारित किये गये निगरानी आदेशों के विरुध्द सम्भागीय आयुक्त न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है । इसके अलावा निगरानी में पारित आदेश के विरुध्द किसी भी न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का प्रावधान नहीं है। अतः उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार न्यायालय अति.जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर के आदेश दिनांक 30.9.2019 विरुध्द इस न्यायालय में राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97(क) के अन्तर्गत इस न्यायालाय में प्रस्तुत की गयी यह अपील संधारण योग्य नहीं होने से एवम् सुनवाई क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण मूल अपील मय दस्तावेज अभिभाषक अपीलान्ट को वापिस लौटाये जाने के आदेश दिये जाते हैं । पत्रावली नम्बर पर ली जाकर आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ मूल अपील वापिस लौटायी जावे । (हस्ताक्षर) संभागीय आयुक्त बीकानेर	

मूल अपील TC प्राप्त की
सुषमा खन्ना
22.10.19